# Result Mitra Daily Magazine

# Probationer IAS *पूजा खेडकर संबंधी विवाद एवं नियम*

## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने परिवीक्षाधीन (Probationer) सिविल सेवा अधिकारी (IAS अधिकारी) पूजा खेडकर द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जाँच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के तहत एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 में 821वाँ रैंक हासिल किया था।
- पूजा खेडकर को अन्य पिछडा वर्ग (OBC) और शारीरिक रूप से विकलांग (PH-Physically Handicaped) कोटा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आवंटित किया गया था।

## पूजा खेडकर पर क्या है आरोप

- पूजा खेडकर पर शारीरिक रूप से विकलांग (PH) प्रमाणपत्र से छेडछाड संबंधी कई कदाचार संबंधी आरोप है।
- पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने एक परिवीक्षाधीन (Probationer) अधिकारी के रूप में विशेष विशेषाधिकार की मांग करने सहित जिला कलेक्टर के कार्यालय पर कब्जा किया है।

- इसके अलावा पूजा खेडकर ने अपने निजी लक्जरी ओडी कार में "अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती" (Red-Blue beacon) का उपयोग किया।
- पूजा खेडकर द्वारा उपयोग की गई इनकी निजी लक्जरी ऑडी कार पर भी विवाद है जिसे वह उपहार (Gift) के रूप में प्राप्त करने का दावा करती है।

## शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र संबंधी गलत जानकारी प्रस्तुत करना

- UPSC , संघ लोग सेवा आयोग द्वारा 1995 बैच के बाद से सिविल सेवा परीक्षा में 27 प्रतिशत सीटें अन्य पिछडा वर्ग (OBC) के तहत आरक्षित कर दी गई।
- जबकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग (PH-Physically Handicaped) आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 2006 के बैच के साथ शुरू की गई।
- संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग (PH) आरक्षण के तहत प्रत्येक श्रेणी सामान्य, ओबीसी (OBC) , एससी (SC) तथा एसटी (ST) में 3 प्रतिशत पद अलग-अलग विकलांगों के लिए आरक्षित है।
- पूजा खेडकर मामले में जिन्हें अन्य पिछडा वर्ग (OBC) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग (PH) आरक्षण के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आवंटित किया गया, पर आरोप है कि उनकी शारीरिक विकलांगता मात्र 7 प्रतिशत है।
- जबकि शारीरिक रूप से विकलांग (PH) आरक्षण के लिए विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी चाहिये।
- पूजा खेडकर पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित् की गई एकल सदस्यीय समिति का गठन अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम-1954 के द्वारा शासित होता है।
- अगर पूजा खेडकर के अन्य पिछडा वर्ग (OBC) और शारीरिक रूप से विकलांग (PH) प्रमाणपत्र जाँच के दौरान फर्जी साबित होते है तो उन्हें अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968 के नियम-12 के तहत सेवामुक्त किया जा सकता है।
- इसके अलावा पूजा खेडकर के प्रमाणपत्रों की पुष्टि करने वाले अधिकारियों को भी "बर्खास्त" कर दिया जाएगा।
- इसके अलावा वर्ष 1993 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के सर्कुलर में भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी "नियुक्ति" हासिल करने के लिए गलत जानकारी देते है या गलत प्रमाणपत्र पेश करते है तो उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिये।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) का यह सर्कुलर परिवीक्षाधीन कर्मियों के होने पर भी लागू होता है।
- हालांकि इस तरह की बर्खास्तगी को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के समक्ष अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

Result Mitra

## अन्य आरोप

- पूजा खेडकर द्वारा उपयोग की गई निजी लक्जरी ऑडी कार जिन्हे वह उपहार (Gift) के रूप में प्राप्त करने का दावा करती है, उनके लिए भी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968 में उल्लेख किया गया है।
- इस मामले में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968 के नियम 11(1) के अनुसार किसी परिवीक्षाधीन (Probationer) -सिविल सेवा अधिकारी अगर शादियों, वर्षगांठ, धार्मिक कार्य या अन्य अवसरों पर अपने निकट रिश्तेदार या निजी मित्रों से 25 हजार मूल्य से अधिक का उपहार स्वीकार करते हैं तो उन्हें इस प्रकार के सभी उपहार की सूचना सरकार को देनी होगी।

## अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968

- एक सिविल सेवक का कार्य मुख्य रूप से दो नियमों अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम-1954 के द्वारा शासित होता है।

- सभी आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और भारतीय वन सेवा अधिकारी (IFS) की सेवा आवंटित होने और प्रशिक्षण शुरू करने के समय से ही अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 जिनमें कुछ संशोधन किए गए, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -2014 के नाम से जाना जाता है।

- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के नियम 3(1) में कहा गया है कि सेवा के प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा एवं अपने कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण बनाए रखेगा एवं ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्यों के लिए अशोभनीय है।
- नियम 4(1) में "अशोभनीय" को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कोई भी अधिकारी अपनी पद या प्रभाव का उपयोग किसी निजी उपक्रम या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए रोजगार सुरक्षित करने के लिए नहीं करेंगे।

## वर्ष 2014 में जोडे गए कुछ उप-नियम

- वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम -1968 में संशोधन के साथ कुछ नियम जोडे गए जिनमें अधिकारियों के लिए निम्न प्रावधान जोडे गए :
- उच्च नैतिक मानक बनाए रखना
- सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखना
- राजनीतिक तटस्थता
- जवाबदेही और पारदर्शिता
- जनता के प्रति विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेही
- जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार

## परिवीक्षार्थियों के लिए नियम

- भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम-1954, परिवीक्षार्थियों (Probationers) के लिए नियमों की एक अतिरिक्त सेट है जो 4 परिवीक्षा अवधि के दौरान एवं सेवाओं में चयन के बाद कम से कम दो साल तक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करता है।
- इसके तहत मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि भी शामिल है।
- इन दो वर्षों के अंत में अधिकारी एक परीक्षा में सम्मिलित होते है जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद उनकी संबंधित सेवाओं की पुष्टि की जाती है।
- इन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को एक निश्चित वेतन और भत्ता मिलता है हालांकि उन्हें इस अवधि के दौरान पुष्टिकृत अधिकारियों की तरह विभिन्न लाभों का हकदार नहीं माना जाता है।
- अन्य लाभों का तात्पर्य वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक आधिकारिक गाडी, आधिकारिक आवास, आधिकारिक कक्ष शामिल है जो पुष्टिकृत अधिकारियों को प्राप्त होता है।

Result Mitra TM

## लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA)

- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) भारत के उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है।

- इस सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना एवं ग्रुप (A) केन्द्रीय सिविल सेवाओं का फाउंडेशन कोर्स संचालित करना है।
- इस संस्थान से IAS कैडर के प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से MA (लोक प्रबंधन) की उपाधि प्रदान की जाती है।
- 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन गृहमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लोकसभा में एक राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई।
- अक्टूबर 1972 में इस संस्था का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया। पुनः जुलाई 1973 में इस अकादमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) कर दिया गया।
- वर्ष 1985 तक यह अकादमी गृह मंत्रालय के तहत संचालित थी, लेकिन अप्रैल 1985 में इस अकादमी का संचालन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत किया जाने लगा।

## संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत की एक संवैधानिक संस्था है, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सिविल सेवाओं में परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा (समूह A,B ) के अधिकारियों की सीधी भर्ती करता है।

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत काम करती है।
- 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित इस आयोग को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघीय लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- भारतीय संविधान के भाग-14 के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोग सेवा आयोग (UPSC) की परिकल्पना की गई।

TM
Result Mitra